

27/11/23

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में पत्रकारान
को न्यायालय द्वारा सूचना देने व पत्रकारान
को तलब करने हेतु नोटिस जारी किये
गये थे। पत्रकारान को नोटिस पत्रावली में
अंकित पते पर जारी किये गये थे। जिसमे
अपीलान्ट सं. 1 डि तामिल पर मूल्तु होना
अंकित होकर मूल प्रॉट इई है एवं अपीलान्ट
सं. 2 डि तामिल पर बाहर रहना अंकित
होकर प्रॉट इई है। अपीलान्ट डि कोर से
अन्य कोई उपस्थित नहीं आया। एवं अपीलान्ट
सं. 2 का अनप इतरा पत्रा पत्रावली में
उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण दुबारा नोटिस
भेजना सम्भव नहीं है। तथा ना ही दुसरा कोई
विकल्प नहीं है। इस कारण तामिल करवाया
जाना सम्भव नहीं है। इसलिए अपील
अपीलान्ट खारीज डि जाती है। पत्रावली केवल
शुमार होकर नम्बर के क्रम होकर जारी
इप्तर हों।



